न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी/मुरैना/भू.रा/2018/2516

प्रकरण क्रमांक : / 2017—18 निगरानी

श्री लक्ष्मी नारायण रिछारिया द्वारा आज दि. 7-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

लक्ष्मी नारायण रिछारिया पुत्र श्री हरगोविंद रिछारिया, निवासी—40, न्यू खेड़ापति कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.) **—आवेदक**

बनाम

1 राघवेन्द्र पुत्र श्री चन्द्रपाल,

2 नारायण पुत्र श्री घनश्याम,

3 राजेन्द्र पुत्र श्री रामबाबू,

समस्त जाति—नट, निवासीगण—गोबरा, तहसील व जिला मुरैना

4 म.प्र. शासन **——अनावेदकगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 109—110 एवं 165 (7ख) सहपठित धारा 32 म.प्र. भू राजस्व सहिता 1959 में कय की गयी कृषि भूमियों पर राजस्व दस्तावेजों में हस्तातंरणीय विलोपित कर पुनरीक्षणकर्ता का पुनःनामातंरण करने के श्रीमान् कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 83/2016—17/बी—121 पर पारित आदेश दिनांक 12/09/2017 के विरूद्ध जानकारी, दिनांक 10/10/2017 पर, होने पर समय सीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष नित्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार है :—

1 यह कि, आवेदक केता लक्ष्मीनारायण रिछारिया ने विकेतागण अनावेदक कमांक 1 राघवेन्द्र पुत्र श्री चन्द्रपाल से ग्राम गोबरा, तहसील व जिला मुरैना स्थित भूमि सर्वे कमांक 351 मिन करवा 2.00 हेक्टेयर, 371 मिन रकवा 0.31 हेक्टेयर एवं अनावेदक कमांक 2 नारायण पुत्र श्री घनश्याम से ग्राम गोबरा तहसील व जिला मुरैना स्थित भूमि सर्वे कमांक 351, मिन रकवा 2 हेक्टेयर तथा अनावेदक कमांक 3 राजेन्द्र

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति.......
पृष्ठ क्र. 01 से 07
दिनांक 07/04/18
हस्ताक्षर व नाम ....

आर्डर की कॉपी प्राप्त नहीं

XXI(?)-BR(H)-11

37

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा../2018/2516

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल माण्डेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	